रजि. सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 1993/ज्येष्ठ 18, 1915
No. 335] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 1993/JYAISTHA 18, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 5 (आर ई)/92—97

नई दिल्ली, 8 जून, 1993

का. आ. 365 (अ):—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की सं. का. आ. 222(अ) दिनांक 31 मार्च, 1993

द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत निर्यात-आयात नीति (संशोधित संस्करण, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः —

"अध्याय–15, भाग-2, पैरा 156 में प्रतिबंधित मदें भाग-छ, क्रम सं. 4—'जेन्टामाइसिन सल्फेट' को हटा दिया जाएगा।"

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. आई पी सी/4/5(352)/92—97]

सी. के. मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 5|(RE)|92—97

New Delhi, the 8th June, 1993

S.O. 365(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) the Central Government hereby makes the following amendment in the Export and Import Policy, 1992-97, (Revised Edition : March, 1993) published under the Notification of Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 222(E) dated the 31st March, 1993, namely :—

"In Chapter XV, Part II, Para 156, Restricted Items, Section G, Sl. No. 4—Gentamycin Sulphate' shall be deleted."

2. This issues in public interest.

[File No. IPC|4|5(352)|92—97)

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade
and Ex-Officio Additional Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993